THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][SOVEREIGN, SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty –sixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.
1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f.3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f.3.1.1977)

आचरण संहिता
विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आवें। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
विद्यार्थी महाविद्यालय में पूर्ण अनुशासित रहें, यदि अनुशासन तोड़ता है तो वह दण्ड का भागीदार होगा।
प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान विद्या अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधि को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों,अधिकारियों व कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा।
महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
महाविद्यालय की सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है।
महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना,दीवारों को गंदा करना या असभ्य भाषा का प्रयोग करना सख्त मना है।
वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा।
प्राचार्य

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय
सारंगढ़, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

मौलिक अधिकार

- भारत का संविधान अपने नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और इसका कारण मौलिक अधिकार है जो संविधान अपने नागरिकों को सशक्त बनाता है।
- छह मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार हैं।
- जाति, पंथ, धर्म, जातीयता, नस्ल या लिंग के बावजूद सभी अधिकार लागू होते हैं।
- प्रकृति में सभी अधिकार पूर्ण नहीं हैं।
- युद्ध, महामारी, आतंकवादी हमले या आर्थिक संकट जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के मामले में, सरकार द्वारा कुछ अधिकारों को रद्द किया जा सकता है।
- देश के लोकतंत्र की माप उसके मौलिक अधिकारों में निहित है।
- मौलिक अधिकारों पर उपरोक्त निबंध में उल्लिखित लोगों के विपरीत, मौलिक अधिकार आमतौर पर सत्तावादी, तानाशाही या फासीवादी शासन में नागरिक को नहीं दिए जाते हैं।
- लोकतंत्र के तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को इन अधिकारों को ठीक से लागू करने की आवश्यकता है।
- यदि किसी अधिकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो एक नागरिक कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय
सारंगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

CITIZENSHIP DEVELOPMENT SOCIETY

मौलिक कर्तव्य

अनुच्छेद 51(क)

क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें;

ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोएं रखें और उसका पालन करें;

ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें;

घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;

ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो;

च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें;

छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसके संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें;

ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें;

ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्तकर्ष की ओर बसने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उच्चाइयों को छू ले;

ट) यदि माता, पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें;

FRESHER
PARTY
संविधान दिवस
प्रतियोगिता
GPS Map Camera
Raigarh, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 496445, India
Lat 21.602952°
Long 83.044025°
25/11/22 01:25 PM GMT +05:30
Google

FRESHER
PARTY
संविधान दिवस
निबंध प्रतियोगिता
GPS Map Camera
Raigarh, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 496445, India
Lat 21.602952°
Long 83.044025°
25/11/22 01:25 PM GMT +05:30
Google

संविधान-दिवस
चित्रकला-प्रतियोगिता
GPS Map Camera
Durgapali, Chhattisgarh, India
J336+7CW, Kosir Marg, Durgapali,
Chhattisgarh 496445, India
Lat 21.601771°
Long 83.060132°
24/11/22 02:15 PM GMT +05:30
Google